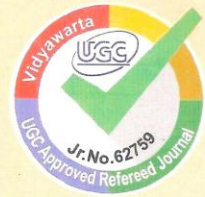




MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318



Vidyawarta®

International Multilingual Research Journal
Issue-22, Vol-10 April to June 2018

Editor

Dr.Bapu G.Gholap



MAH/MUL/ 03051/2012

ISSN :2319 9318



April To June 2018
Issue-22, Vol-10

Editor

Dr. Bapu g. Gholap

(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

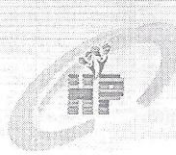
विद्येविना मति गेली, मतीविना नीति गेली
नीतिविना गति गेली, गतिविना वित्त गेले
वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

-महात्मा ज्योतीराव फुले

❖ विद्यावार्ता या आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. न्यायक्षेत्र:बीड



"Printed by: Harshwardhan Publication Pvt.Ltd. Published by Ghodke Archana Rajendra & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor Dr. Gholap Bapu Ganpat.



Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors

www.vidyawarta.com

27) प्रगतिशील साहित्य और केदारनाथ अग्रवाल संतोष नागरे	125
28) राष्ट्र-शक्ति निर्माण में विवेकानन्द जी का योगदान डॉ. विनी शर्मा	128
29) श्रीगंगानगर जिले में शस्य गहनता : एक भौगोलिक अध्ययन डॉ. श्योपतराम सहारण	135
30) संयुक्त परिवार के मूल्यों का दृष्टन : 'माटी कहे कुम्हार से' डॉ. श्रीकांत पाटील	138
31) यू.पी. बोर्ड व सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बन्धित विद्यालयों में अशोक कुमार शर्मा	140
32) 'मृदुला गर्ग के उपन्यासों में प्रेम सम्बन्ध' गणेश सिंह	143
—33) भारत में महिला-पुरुष अनुपात में परिवर्तन डॉ. गीतांजली सूर्यवंशी	146
34) मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन में नारी डॉ. गुड्डी चमोली	151
35) शिवानी के उपन्यासों का समाजशास्त्र प्रविता देवी	154
36) औपनिवेशिक भारत में स्थानीय निकाय और शिक्षा का हस्तान्तरण..... ब्रजेन्द्र कुमार'	157
37) हिन्दी साहित्य में नारी के बदलते रूप कृष्णा राणा	161
38) ग्वालियर क्षेत्र के कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्र एवं छात्राओं डॉ. रुद्र प्रताप यादव	165
39) परिवर्तित ग्रामीण समाज का समाजशास्त्रीय अध्ययन डॉ. वन्दना	169

36

औपनिवेशिक भारत में स्थानीय निकाय और शिक्षा का हस्तान्तरण : एक आलोचनात्मक अध्ययन

ब्रजेन्द्र कुमार*

शोधार्थी

इतिहास विभाग,

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में सर्वप्रथम मौर्यकाल में आये विदेशी यात्री मैगस्थनीज की पुस्तक 'इण्डिका' में वर्णन मिलता है। दक्षिण भारत में चोल काल में उत्तरमेरु अभिलेख से प्राप्त ९१९ तथा ९२९ ई. के दो लेखों से मिलता है जिनमें ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य-प्रणाली का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। यहाँ की प्रत्येक ग्राम सभा केन्द्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से काम करती थी।^१ मध्यकालीन भारत में केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था स्थिर रही। ब्रिटिशकाल में आधुनिक रूप में प्रशासनिक व्यवस्था का संगठन कर स्थानीय निकायों को पुनर्गठित करके उन्हें राजनीतिक तथा विधायी अधिकारों से सुसज्जित किया गया। आधुनिक रूप में स्थानीय निकायों को इस प्रकार से समझा जा सकता है— स्थानीय स्वशासन को परिभाषित करते हुए हरमैन तथा फाइनर ने लिखा है कि “स्थानीय स्वशासन वह सत्ता होती है, जिसमें स्थानीय शक्तियाँ हमारे जीवन का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण करती हैं तथा हमें सुसुप्तावस्था से निकालकर सजग करती है, जिससे हम अपने कर्तव्यों तथा समाज के प्रति अपनी भूमिका को निभा सकें।”^२ स्थानीय स्वशासन के विषय में एल. पी. माथुर ने लिखा है कि “स्थानीय स्वशासन

का तात्पर्य ऐसे शासन से है जो 'स्वयं अपनी सहायता' की क्षमता को विकसित करता है, जिससे अनेक स्थानीय मामलों को निपटाने में सफलता प्राप्त होती है।”^३ स्थानीय निकायों से तात्पर्य है कि स्थानीय कार्यों का ऐसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रबन्ध जो उसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा चुनी जाएं। स्थानीय संस्थाएँ दो भिन्न-भिन्न सिद्धांतों पर निर्भर हैं—

१. एक तो यह कि स्थानीय संस्थाओं को विस्तृत अधिकार प्राप्त हो ताकि वे जिस प्रकार चाहें समाज के कल्याण के लिए कार्य कर सकें, जहाँ तक कि कानून द्वारा उनका कार्यक्षेत्र सीमित न कर दिया गया है।

२. दूसरा यह कि स्थानीय संस्थाएँ केवल उन्हीं क्षेत्रों में कार्य करें जिनकी आज्ञा उन्हें विभिन्न कानूनों द्वारा दे दी गई है।

भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में कानूनी रूप से कार्य ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत में स्थानीय निकायों के विकास प्रक्रिया प्रेसीडेंसी नगरों से होती है। प्रेसीडेंसी नगरों में उपकर की वसूली तथा सफाई, स्वास्थ्य आदि की देख-भाल की व्यवस्था के लिए निकायों का गठन किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए १८७० में वायसरॉय लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया आरम्भ की। इसे व्यापक रूप प्रदान करने का काम वायसरॉय लॉर्ड रिपन द्वारा '१८८२ में स्थानीय स्वशासन अधिनियम' बनाकर कानूनी रूप देकर किया गया। चूँकि रिपन द्वारा न केवल कस्बों और नगरों में बल्कि सारे देश में स्थानीय बोर्ड विकसित किए जाने थे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें सलाहकार समितियों का स्थान लेना था और प्रभावशाली बनाने के लिए इनका क्षेत्राधिकार बहुत बड़ा नहीं होना था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप-विभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगरपालिकाएँ स्थापित की गईं। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। सरकार का हस्तक्षेप कम से कम कर दिया गया और यह आशा की गई कि सरकारें इन्हें आज्ञा न दे अपितु इनका